

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर -आदेश-

इस कार्यालय के आदेश क्रमंक:- शिविरा/मा/संस्था/बी-2/45002/सेवानिवृत्तियों/समेकित-I/2018 दिनांक 12.01.2018 की संलग्न सूची के क्र.सं. 448 पर श्री रामनारायण जाट, प्रधानाचार्य, राउमावि, काशीर अराई जिला अजमेर का राजकीय सेवा से सेवानिवृत्ति आदेश प्रारूप-6 में प्रसारित किया गया था। उक्त आदेश में श्री जाट के विरुद्ध सीसीए नियमान्तर्गत कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं होने का उल्लेख किया गया था।

तत्पश्चात् श्री जाट के विरुद्ध सीसीए नियम-16 के अन्तर्गत जारी ज्ञापन दिनांक 10.03.2017 की जानकारी प्राप्त होने पर इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 14.02.2018 द्वारा श्री जाट के सम्बन्ध में जारी सेवानिवृत्ति आदेश दिनांक:- 12.01.2018 में " सीसीए-16 के तहत ज्ञापन जारी/विभागीय जाँच प्रक्रियाधीन है" की टिप्पणी समावेश किये जाने का संशोधन आदेश जारी किया गया था।

इस कार्यालय के आदेश क्रमंक:- शिविरा-माध्य/विजॉच/11107/ए-36/17/180-181 दिनांक 16.01.2019 द्वारा श्री रामनारायण जाट के विरुद्ध सीसीए-16 में विचाराधीन उक्त कार्यवाही को समाप्त की जा चुका है। अतः इस कार्यालय द्वारा जारी समसंख्यक संशोधन आदेश दिनांक:- 14.02.2018 द्वारा मूल सेवानिवृत्ति आदेश दिनांक 12.01.2018 में समोवशित टिप्पणी " सीसीए-16 के तहत ज्ञापन जारी/विभागीय जाँच प्रक्रियाधीन है" को तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक : 04-06-2019

क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/बी-2/45002/सेवानिवृत्ति/संशोधन/2018-19
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही/पालनार्थ प्रेषित है:-

- 1-उप शासन सचिव, शिक्षा (गुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
- 2-सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय।
- 3-संबन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
- 4-जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
- 5-मुख्य ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी अराई - अजमेर
- 6-सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर-कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु
- 7-संबन्धित संस्था प्रधान/संबन्धित कार्मिक द्वारा सीबीईओ, अराई, अजमेर।
- 8-रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)